न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 86 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/95)

पंजीयन दिनांक– 18.02.2021

निर्णय दिनांक– 29.07.2021

1. श्री माधुलाल पिता परथू उर्फ पृथ्वीराज जाट, निवासी सूरखण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री पन्नालाल पिता परथू उर्फ पृथ्वीराज जाट, निवासी सूरखण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती नारूबाई पिता परथू उर्फ पृथ्वीराज जाट, निवासी सूरखण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रामेश्वरलाल पिता नारायणलाल जाट, निवासी गरदाना, तहसील, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री कपिल पिता माधुलाल जाट, निवासी गरदाना, तहसील, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. प्रियंका पिता माधुलाल जाट, निवासी गरदाना, तहसील, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु. पुष्पाबाई बेवा माधुलाल जाट, निवासी गरदाना, तहसील, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी –अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम
1956 विरूद्ध तहसीलदार भदेसर के प्रकरण
संख्या 03 / 2013 निर्णय दिनांक 17.06.2013

निर्णय

दिनांक 29.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार भदेसर के

प्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 17.06.2013 के विरूद्ध दिनांक 08.08.2013 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गरदाना की आराजी खसरा संख्या 283 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खातेदार मु. राधाबाई बेवा किशना जाट, निवास सूरखण्ड के नाम दर्ज है। दिनांक 21.12.2003 को उक्त खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने पर प्रार्थी रामेश्वरलाल पिता नारायण जाट निवासी गरदाना एवं माधुलाल पुत्र परथू जाट, निवासी सूरखण्ड दोनो ने ही विरासत अपने–अपने नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस बाबत पूर्व में पत्रावली संख्या 27/2010 तहसील कार्यायल में विचाराधीन है, जिस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 17.06.2013 से रेस्पोडेंट संख्या–1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.06.2013 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"रिपोर्ट पटवारी एंव बयान गवाहान् से यह तथ्य भी सामने आये है कि मृतका खातेदार राधाबाई बेवा किशना जाट का ससुराल सूरखण्ड गाव में था परन्तु वह अपने ही घर ग्राम गरदाना में ही निवास करती थी एवं वही उसकी मृत्यु हुई थी। एवं वह अपने पीहर पक्ष में अपने भाई की संतानों के साथ ही निवास करती थी यह तथ्य मतदाता सूची की फोटोप्रति से भी सिद्ध है। एवं उसका राशन कार्ड में भी नाम रामेश्वर के परिवार के साथ ही लिखा हुआ है। राधाबाई का अंतिम चालचलावा एवं मौसर भी गरदाना में ही हुआ जो कि शोक पत्रिका से स्पष्ट है जो शामिल*

पत्रावली है। रिपोर्ट ग्राम पंचायत गरदाना शामिल पत्रावली है। इस प्रकार मृतका राधाबाई बेवा किशना जाट सा. सूरखण्ड के प्रथम दामाद का कोई वारिसान हीं होने के कारण द्वितीय दामाद के उसके पीहर पक्ष में उसके सगे भाई नारायण एवं हीरालाल पिता दलीचंद थे जिनकी मृत्यु हो चकी है। हीरालाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं नारायण के रामेश्वरलाल एवं माधुलाल दो संताने हुई जिनमें से रामेश्वरलाल जीवित है तथा माधुलाल फोत होकर उसके पुत्र कपिल, पुत्री प्रियंका एवं बैवा कोशल्या मौजूद है। अतः मृतका खातेदार राधाबाई बेवा किशना जाट की विरासत रामेश्वर पिता नारायणलाल हिस्सा 1/2 एवं कपिल, प्रियंका पिता माधुलाल व कोशल्या बेवा माधुलाल 1/2 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम गरदाना, पटवार क्षेत्र असावरा, तहसील भदेसर की खसरा संख्या 283 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि मु. राधाबाई बेवा किशना जाट के खाते की थी। किशना एवं राधाबाई के कोई पुत्र संतान नहीं हुई है। उनके एकमात्र पुत्री नोजीबाई थी जिसका विवाह परथू उर्फ पृथ्वीराज निवासी सूरखण्ड के साथ हुआ था। राधाबाई बेवा किशना की मृत्यु दिनांक 21.12.2003 को हो जाने पर अपीलांट माधुलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भदेसर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राधाबाई का नामांतरकरण अपीलांट के नाम किये जाने का निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मूल आवेदन तहसीलदार, भदेसर को

प्रेषित कर दिया जिस पर तहसीलदार, भदेसर ने पटवारी हल्का गरदाना एवं कूंथना से रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं प्रदान किया। उक्त भूमि बाबत ही दिनांक 17.08.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 रामेश्वारलाल द्वारा तहसीलदार भदेसर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली संख्या 27/2010 कायम की जाकर कुछ कार्यवाही करने के पश्चात रोक दी गयी और इस पर कोई निर्णय नही प्रदान किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.05.2013 को तहसीलदार, भदेसर के यहा पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके साथ ग्राम पंचायत गरदाना के सरपंच द्वार तथाकथित तस्दीक के साथ प्रस्तुत किया जिस पर सभी हितबद्ध व्यक्तियों को बिना नोटिस एवं जिन व्यक्तियों को नोटिस दिया गया उनकी विधि अनुसार तामिल हुए बिना वास्तविकता के विपरीत एवं कानून के विरूद्ध बिना जांच के गलत निर्णय दे दिया। रेस्पोडेंट्स का राधाबाई बेवा किशना जाट की कृषि आराजी से कोई संबंध एंव अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामिल विधि अनुसार नहीं होते हुए भी तामिल मानी जाकर निर्णय प्रदान कर दिया। सरपंच, ग्राम पंचायत, गरदाना के तस्दीक को आधार बनाकर निर्णय प्रदान किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। पत्रावली संख्या 27/2010 में कोई कार्यवाही व निर्णय प्रदान किए बिना नई पत्रावली कायम कर निर्णय प्रदान किया जाना भी गलत है। राधाबाई पत्नि किशना जाट के निधन के वक्त अधिकारी व्यक्ति पुत्री के पति परथू उर्फ पृथ्वीराज एवं अपीलांट के नाम नामांतरकरण नहीं खोले जाने का कोई कारण दर्शित नही किए जाना भी त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का गरदाना से दिनांक 13.06.2013 को बनवायी गयी मौका रिपोर्ट अपीलांट्स को बिना किसी नोटिस अथवा जानकारी एवं अनुपस्थिति में बनाये जाने से इसके आधारा पर प्रदान किया गया निर्णय निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राधाबाई के भाई हीराजी की पुत्री श्रीमती शंकरी पत्नि हीराजी जाट, निवासी लुहारिया, तहसील

भदेसर के जिन्दा होने के तथ्य को छिपाकर इसे बिना नोटिस व पक्षकार बनाये निर्णय दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में लिये गये बयान विधि अनुसार नहीं होने से एवं वर्णित आराजी पर अपीलांट का कब्जा होते हुए उक्त कब्जे को नजरअंदाज कर निर्णय प्रदान किया है वह निरस्त योग्य है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स नें अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि यह प्रकरण तहसीलदार भदेसर के यहां राधाबाई पत्नी किशना जाट निवासी सूरखण्ड की मृत्यु दिनांक 21.12.2003 को होने के उपरान्त उसके विरासत से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा स्वयं की नानी राधाबाई को बताते हुए विरासत का दावा किया, वहीं रेस्पोंडेण्ट द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को उसके भतीजे या भतीजों के वारीसान (रामेश्वरलाल व माधुलाल फोत के वारीसान) द्वारा अपने नाम दर्ज किये जाने का आग्रह किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में उभय पक्षों से साक्ष्य सबूत तलब किये गये, उभय पक्षों के बयान लिये गये, ग्राम पंचायत की तस्दीक की गयी, मतदाता सूची का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में संबंधित गवाहों के बयान भी लिये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2013 व 27.08.2010 का अवलोकन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.06.2013 से यह निर्धारित किया कि मृतक राधाबाई के एक पुत्री नौजीबाई थी तथा उसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके एक पुत्र भेरूलाल था जो अविवाहित फोत हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि राधाबाई की पुत्री नौजीबाई, जिसकी शादी

पृथ्वीराज के साथ हुई थी, उसने यानि पृथ्वीराज ने नौजीबाई की मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर पृथ्वीराज ने दूसरी पत्नी राधाबाई से शादी की, जिसके वारीसान वर्तमान अपीलाण्ट है, अर्थात् मृतक राधाबाई से वर्तमान अपीलाण्ट का कोई रक्त संबंध नहीं है क्योंकि वे उसके दामाद पृथ्वीराज की दूसरी पत्नी राधाबाई जो कि मृतक राधाबाई की सगी पुत्री नहीं होकर पृथ्वीराज की दूसरी पत्नी है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रक्त संबंधों के आधार पर मृतक राधाबाई की विरासत उसके भतीजे/भतीजों के वारीसान के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जिससे रूष्ठ होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है उसमें उसके द्वारा जो अपील आधार लिये गये हैं, उसमें यह वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सम्मन जारी नहीं किये गये। यह स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में गवाहान व पक्षकारान के बयान हुए हैं। अपीलाण्ट ने अन्य उज्र यह लिया है कि ग्राम पंचायत गरदाना के तस्दीक को आधार बनाकर निर्णय लिया है, जो निरस्त योग्य है। यह उज्र भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के बयान व पटवारी हल्का की रिपोर्ट, मतदाता सूची, राशनकार्ड इत्यादि के आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने अन्य उज्र यह भी वर्णित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट उनके अनुपस्थिति में बनायी गयी है, यह तर्क भी अपीलाण्ट का मानने योग्य नहीं है क्योंकि रिपोर्ट पृथक–पृथक तिथियों को पृथक–पृथक अवधि की, पृथक–पृथक मौतबीरान की उपस्थिति में विभिन्न दिनांकों को मुर्तिब की गयी है जिसमें अलग–अलग पटवारी द्वारा भी रिपोर्ट तस्दीक की गयी। अतएवं उक्त रिपोर्ट को संदिग्ध माने जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि राधाबाई के भाई हीरालाल की पुत्री शंकरी के जिन्दा होने के तथ्य को छुपाया गया है। हम यह मानते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् किसी

शंकरी के होने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा यदि शंकरी है भी तो भी शंकरी के हितों की रक्षा का दायित्व अपीलाण्ट का नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आख्यापक विस्तृत, तथ्यों, साक्ष्यों, बयानों व जांच रिपोर्ट के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार विधि के तहत मृतक राधाबाई के रक्त संबंधों में उसके पुत्र, पुत्रीयान या पुत्र, पुत्रीयान के वारीसान जिन्दा नहीं होने के कारण विवादित भूमि को राधाबाई की विरासत में उसके भतीजें/ भतीजों के वारीसान के नाम दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार के तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर